नगर निगम उत्तर

कार्यालय नगर निगम जोधपुर उत्तर

पोलीटेक्निक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ जोधपुर
phone Number : 0291 2651483 mail :nnjnorth@gmail.com

क्रमांकः– 3485

दिनांकः– 24/05/2022

सार्वजनिक सूचना

भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.08.2021 को अधिसूचना जारी कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रंबधन (संशोधन) नियम 2021 प्रकाशित किये गये है। उक्त अधिसूचना में 01 जुलाई 2022 से पॉलजीस्टाइरीन और विस्तारित पॉलीजीस्टाइरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल प्रयोग प्लास्टिक (Single Use Plastic) वस्तुओ के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग निषेध किया गया है। एकल प्रयोग प्लास्टिक (Single Use Plastic) की श्रेणी में निम्नलिखित वस्तुओं को शामिल किया गया है, जो निम्न प्रकार हैः–

1. प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडीया, पॉलीस्टाइरीन(थर्मोकॉल) की सजावटी सामग्री।

2. प्लेटे, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बो के इर्द–गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्टीरर एवं अन्य समस्त सिंगल यूज प्लास्टिक (डिस्पोजल) इत्यादि।

उक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार 30 सितम्बर 2021 से <75 माईक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक कैरी बेग को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त प्रतिबन्ध सीवरों एवं सैफ्टिक टैंको की चोकिंग की समस्या को कम से कम करने के लिए भी आवश्यक है।

अतः नगर निगम जोधपुर उत्तर के समस्त आम नागरिकों/व्यवसायियों/संस्थाओं इत्यादि को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

सूचित रहे।

sd-
आयुक्त
नगर निगम जोधपुर, उत्तर

प्रतिलिपिः–

1. ए.सी.पी. नगर निगम जोधपुर उत्तर को आदेशित किया जाता है। कि उक्त सूचना को नगर निगम उत्तर की अधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड़ करवाना सुनिश्चित करें।
2. नोटिस बोर्ड।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर, उत्तर